 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	कार्तिक 11, मंगलवार, शाके 1943-नवम्बर 02, 2021 <i>Kartika 11, Tuesday, Saka 1943- November 02, 2021</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 2, 2021

जी.एस.आर.255:- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी / एसपीएफसी/2017 दिनांक 17-03-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है: -

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,

संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 17, 2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 32 के साथ पठित राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 6 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभागों और उद्यमों के संसाधनों और विशेषज्ञता के उपयोग और उपापन संस्थाओं के व्यक्तिशः बोलियों के आमंत्रण और प्रक्रिया में अपेक्षित समय, धन और प्रयासों की बचत के लिए यह आवश्यक है, इस विभाग की, समय-समय पर यथासंशोधित, अधिसूचना संख्यांक एफ.1(8)/एफडी/ जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 04 सितम्बर, 2013 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, विद्यमान क्रम संख्यांक 15 और उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् और विद्यमान क्रम संख्यांक 16 और उसकी प्रविष्टियों के पूर्व निम्नलिखित नया क्रम संख्यांक 15क और उसकी प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

“

15क	कृषि वस्तुएं	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड)	कृषि वस्तुएं जिनकी दरें भारत सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा नियत की गयी हैं। नेफेड द्वारा प्रभारित की जाने वाली दरें भारत सरकार या, यथास्थिति, उक्त समिति द्वारा नियत की गयी दरों से अधिक नहीं होंगी।
-----	--------------	--	--


”

[सं.एफ.2 (1)/एफडी/एसपीएफसी/2017]

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 26, बुधवार, शके 1942-मार्च 17, 2021 <i>Phalguna 26, Wednesday, Saka 1942- March 17, 2021</i>	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

FINANCE (G&T-SPFC) DEPARTMENT
NOTIFICATION

Jaipur, March 17, 2021

G.S.R.255 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012) read with rule 32 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, the State Government, being of the opinion that it is necessary for the socio-economic policies of the Central Government and the State Government, utilization of resources and expertise of the departments and enterprises of the Central Government and the State Government and saving the time, money and efforts of the procuring entities required in inviting and processing bids individually hereby makes the following amendment in this department's notification number F.1(8)/FD/GF&AR/2011 dated 04 September, 2013, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENT

In table of the said notification, after the existing serial number 15 and entries thereto and before the existing serial number 16 and entries thereto, the following new serial number 15A and entries thereto shall be inserted, namely:-

15A	Agricultural Commodities	National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED)	Agricultural Commodities whose rates are fixed by the Government of India or by committee constituted by the Government of India. The rates to be charged by the NAFED shall not be more than the rates fixed by the Government of India or said committee, as the case may be.
-----	--------------------------	--	---

"

[No.F. 2(1)/FD/SPFC/2017]

By Order of the Governor,

Vimal Kumar Gupta,
Joint Secretary to the Government.